



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10051

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 16148 सन् 2025

कृपाशंकर राम उर्फ कृपाशंकर गौड

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

अरविंद कुमार दीक्षित

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार दीक्षित और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें वर्ष 1989 में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और वे 31.07.2023 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दिनांक 03.09.2024 को पारित आदेश के आधार पर 1,44,517/- रुपये की राशि काट ली गई है।
3. इसी बात पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश को इसलिए वैध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता को इसकी सूचना नहीं दी गई थी और याचिकाकर्ता की पीठ पीछे यह आदेश पारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या मिथ्या प्रस्तुतिकरण का प्रकरण है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि यदि कर्मचारी को वह अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है जो देय नहीं थी, तो निश्चित रूप से प्राधिकरण उसे वसूल कर सकता है। उन्होंने निवेदन किया कि चुनौती दिए गए आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को इस संबंध में सूचित किया गया था या नहीं। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आदेश को अपास्त कर दिया जाए और प्रकरण को प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाए ताकि वह नए आदेश पारित कर सके।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. तथ्य विवादित नहीं हैं। स्पष्टतः, याचिकाकर्ता, जिन्हें ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, 31.07.2023 को सेवानिवृत्त हो गए थे। दिनांक 03.09.2024 के आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि वसूली का कारण यह है कि याचिकाकर्ता को ऐसे लाभ दिए गए थे जो दिए जाने योग्य नहीं थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भगवान शुकला बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 एससीसी 154** में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, इस पर कोई विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन कम करने से पहले उसे नोटिस भी नहीं दिया गया था और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, कानून के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई के भारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी को नागरिक परिणामों का सामना करना पड़े, संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए बिना और उसे प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दिनांक 25.7.1991 का आदेश (जापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं हो सकता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने में गलती की है। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और दिनांक 17.9.1993 के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के साथ-साथ दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (जापन) को भी रद्द करते हैं, जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।"

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ता ने एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इसका खंडन किया है।

10. चूंकि आक्षेपित आदेश के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था, इसलिए इस न्यायालय के पास चुनौती दिए गए आदेश को अपास्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(ए) जिला वाराणसी के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दिनांक 03.09.2024 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है।

(बी) प्रकरण को नए आदेश पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाए।

(सी) फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

(डी) रिट याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाए और आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर आदेश पारित किया जाए।

12. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।